



Q

M

S

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रमाणन निकाय बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रत्यायित
(Accredited by National Accreditation Board for Certification Bodies, New Delhi)

लाइसेंस सं. म.क्षे.का/क्यूएम/एल-8002879.4

Licence No. CRO/QM/L-8002879.4

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो
By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 1986 (63 of 1986), the Bureau
hereby grants/renews

स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड,

सहारनपुर - 247001 (उ० प्र०)

M/s Star Paper Mills Ltd,

Saharanpur - 247001 (UP)

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं
या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रों) में उसी संख्या से
सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं
या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, आई एस/ आई एसओ 9001:2015 के अनुरूप गुणता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर
बताएं गए पते (पत्तों) पर निर्मित/प्रदत्त/ प्रचालित किए जाएंगे।

(here in after called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of
Quality Management Systems Certification in respect of the products and/or services of processes
particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or
services or processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address (es)
given above, and under the Quality Management Systems in accordance with

IS/ISO 9001:2015

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और
विनियमों के संबंध में प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत नवीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को
नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is granted/renewed subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations
made there under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau
duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 16 मार्च 2021 to 01 जुलाई 2023 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा
सकेगा।

This licence shall be valid from 16 March 2021 to 1st July 2023 and may be renewed as prescribed in the
Regulations.

2021 के मार्च माह के बाईसवां दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित

Signed, Sealed and dated this Twentytwo day of March 2021

(Sanjeev Chaturvedi)
Deputy Director General (Central)
भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
For BUREAU OF INDIAN STANDARDS

